प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशासनिक आदेश संख्या : 102/2021, दिनांक– 16/06/2021

आदेश

कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनपद न्यायालय में न्यायिक कार्य निष्पादन के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों को संशोधित करते हुए पत्र सं0–1964/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–15.06.2021 के माध्यम से न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

अतः कोविड–19 संक्रमण के चलते जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी में न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पारित प्रशासनिक आदेशों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम निर्देशों तक केवल आवश्यक मामले, जैसे–लम्बित एवं फ्रेश जमानत प्रार्थना–पत्र, रिलीज आदेश, धारा–164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अंकित किए जाने एवं रिमाण्ड से संबंधित कार्य, आवश्यक प्रकृति के प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण, पैटी ऑफेन्सेस का निस्तारण तथा माननीय हाई पॉवर्ड कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन से संबंधित कार्य निष्पादित किये जायेंगे। इसी के साथ सिविल प्रकृति के आवश्यक मामलों (जैसे निषेधाज्ञा से संबंधित मामले एवं अन्य सिविल प्रकृति के प्रार्थना–पत्रों) के निस्तारण से संबंधित कार्य भी निष्पादित किया जायेगा। अन्य सिविल मामलों (नये वादों का दायरा आदि) के आवश्यक होने के तथ्य के संबंध में स्थानीय स्तर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा अपने स्तर पर विचार किया जायेगा।

2. उपरोक्त सभी मामलों के निस्तारण संबंधी आदेश अविलम्ब सी.आई.एस. पर अपलोड किए जायेंगे।

3. जनपद न्यायालय की डेडीकेटेड ई–मेल–districtcourtsambhal@gmail.com पर पूर्व से हेल्पलाइन टेलीफोन नं0–05921252119 प्रकाशित किया गया है, जिसके माध्यम से अधिवक्तागण/वादकारीगण आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम ऑफीसर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4. उपरोक्त पैरा सं0–1 में वर्णित कार्य से संबंधित प्रार्थना–पत्र जनपद न्यायालय की डेडीकेटेड ई–मेल–districtcourtsambhal@gmail.com के माध्यम से दोपहर 12.00 बज़े तक प्राप्त किये जा सकेंगे, 12.00 बजे के उपरान्त ई–मेल पर प्राप्त होने वाले संबंधित आवेदनों को अगले कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अधिवक्तागण जनपद न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में सेन्ट्रलाइज्ड फाइलिंग काउन्टर पर भी उपरोक्त प्रार्थना–पत्रों को प्राप्त करा सकते हैं। इसके पश्चात् उक्त नये वादों व प्रार्थना–पत्रों को सी.आई.एस. पर पंजीकृत किया जायेगा तथा संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता एवं वादकारियों का विवरण एवं मोबाइल नम्बर, ईमेल आई.डी. अंकित किया जाना आवश्यक होगा। कोई कमी होने पर संबंधित अधिवक्ता को उसी दिन सूचित किया जायेगा। सिस्टम ऑफीसर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5. संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कम–से–कम कर्मचारीगण को ही न्यायालय में रोटेशन के अनुसार उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी वाद के त्वरित निस्तारण की अति आवश्यकता हो/साक्ष्य अंकित करायी जानी अति आवश्यक हो, तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ऐसी परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित करेंगें।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक–16.06.2021 से माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक

प्रभावी होगी।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की ऑफिसियल वेबसाईट पर अपलोड की जाये तथा एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार–पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

नोट– उपरोक्त समस्त व्यवस्था बाह्य न्यायालय सम्भल एवं बाह्य न्यायालय गुन्नौर में भी पीठासीन अधिकारी/उपनाजिर द्वारा करायी जानी सुनिश्चित की जाये।

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
6. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्भल,
7. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण को,
8. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सम्भल,

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।